भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4780

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत सुरक्षा पर विधान

†4780. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दक्षिण कोरिया और क्वींसलैंड (ऑस्ट्रेलिया) के विद्युत सुरक्षा से संबंधित विधानों का अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत सुझाव/अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, सुरक्षा में सुधार करने हेतु भारत में अपनाने के लिए उन विधानों से पहचाने गए तत्वों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान विद्युत सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के साथ-साथ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की विद्युत सुरक्षा के लिए कोई विधान बनाने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को सलाह दी गई है कि वह प्राप्त सुझावों और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों की जांच करे, और यदि आवश्यक हो, तो हितधारकों के परामर्श से प्रासंगिक विनियमों में संशोधन करे, साथ ही इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिज़नेस के सिद्धांतों का पूरी तरह से ध्यान रखे, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जोर दिया जाता रहा है।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53(क) और धारा 177(2)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, सीईए ने विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव जीवन की रक्षा के लिए समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है। सीईए ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दिनांक 8 जून, 2023 को इन विनियमों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया था।

इन विनियमों के प्रावधानों पर राज्य सरकारों के साथ बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से नियमित रूप से चर्चा की जाती है। विद्युत सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को परामर्श भी जारी किए जाते हैं।

****